# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–2549/2025**

सुनिता धवन

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 01.05.2025

**उपस्थिति :–**

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरोत्तम कुमार वर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देराठू, ब्लॉक श्रीनगर, जिला अजमेर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान किये जाने के पश्चात आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश पारित कर अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देरांठू, ब्लॉक श्रीनगर, नसीराबाद, अजमेर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, न्यारा, अजमेर में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 7 माह का समय शेष रहा है। अपीलार्थी के वर्तमान विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, परंतु उसे काउंसलिंग में नहीं दर्शाया गया और अपीलार्थी को अन्य स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो गलत है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का पदस्थापन काउंसलिंग के पश्चात पदोन्नत पद पर

किय गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर की गई है। यह आवश्यक नहीं है कि समस्त पदों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में दर्शाया जाए।

4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नति उपरांत किया गया है। अपीलार्थी के पदस्थापन की कार्यवाही काउंसलिंग के द्वारा की गई है, जिसके पश्चात अपीलार्थी को अजमेर जिले में ही पदस्थापित किया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित विद्यालय को दर्शित नहीं किये जाने में हम कोई विधि–विरूद्धता होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। अपीलार्थी को अजमेर जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित किया गया है। ऐसे में हम अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार होना नहीं पाते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**